डीजी परिपत्र संख्या– 54 /2013

देवराज नागर
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः सितम्बर 27,2013

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का आबकारी राजस्व एक महत्वपूर्ण अंग है। शासन को आबकारी राजस्व का अधिकांश भाग मदिरा की वैध बिक्री पर अभिकर के रूप में प्राप्त होती है। प्रदेश के बाहर से आपके जनपदों को अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है। हरियाणा राज्य से कच्ची व देशी शराब के पाउच भी उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से लाकर बेंचे जा रहे है। अवैध मद्यनिष्कर्षण एवं तस्करी से लाई गयी अवैध मदिरा की बिक्री से एक ओर राजस्व की हानि होती है वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा से जहरीले रसायन के मिश्रण से विषाक्त मदिरा पान काण्ड की दुखद घटनायें भी हो जाती है जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जनता में स्थानीय पुलिस से विश्वास भी उठ जाता है।

2. अवैध मदिरा निष्कर्षण, उसकी बिक्री एवं तस्करी की शिकायत पाए जाने वाले स्थानों एवं इस अवैध धन्धे में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध आबकारी एक्ट, गुण्डा अधिनियम तथा गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इस निमित्त निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः–

- अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही कराई जाए एवं वाहनों को आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 72 के अन्तर्गत सीज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
- आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 73 के अन्तर्गत घटना में प्रयुक्त वाहन को जिलाधिकारी के माध्यम से जब्त कराने की कार्यवाही कराई जाए।
- आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करके कार्यवाही कराई जाए।
- अवैध एवं कच्ची शराब के कारोबार की सूचना स्थानीय थानास्तर पर हर सम्भव श्रोतों के माध्यम से संकलित करके लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही कराई जाए।

- संवेदनशील स्थानों/मार्गों पर स्थापित ढाबों की समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग कराई जाए।
- जनपद में प्रत्येक माह होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए एवं उनसे विचार विमर्श कर अवैध एवं कच्ची शराब के कारोबार के रोकथाम हेतु रणनीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए।

3. इस सम्बन्ध में कार्यवाही का अनुश्रवण जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा मासिक रूप से की जाएगी।

भवदीय,

(देवराज नागर) 27-9-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।